न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 33 / 2025	2025 / 76	11.02.2025	20.08.2025

1– मुंशी खान,
2–अतरू पुत्रान सुभाना उर्फ सुभान खान निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– रमजाना पुत्री सुभान खान निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 02.08.2024 नामान्तकरण संख्या 1742 वाके ग्राम चौरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित
01. श्री दमन कुमार यादव — वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 1742 वाके ग्राम चौरबसई तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 02.08.2024 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 749 रकबा 0.6500 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चौरबसई तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाना की कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी थीं। जिस पर मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाना काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे। और अपने जीवन काल में मृतक सुभाना मिन अपीलान्ट को दिनाक 16.08.2019 को एक वसीयत लिखकर गये थे। कि मेरे मरने के बाद उक्त आराजी मिन अपीलान्ट की होगी क्योकि मेरी सेवा टहल मिन अपीलान्ट ने की थी, और मृतक सुभाना के बाद मिन अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा मौके पर मिन अपीलान्ट का ही कब्जा है। मिन अपीलान्ट ने मृतक सुभाना के वारीसान की जॉच रिपोर्ट व वसीयत राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो को दी थी, लेकिन मिन अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति है, तथा कानून के ज्ञान का अभाव है, मिन अपीलान्ट को राजस्व अधिकारी व कर्मचारीयो ने मिन अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया था परन्तु तहसीलदार ने मृतक सुभाना का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1742 दर्ज दिनाक 02.07.2024 मंजूर दिनाक 02.08.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.08.2024 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, मिन अपीलान्ट दिनाक 12.08.2024 को पटवारी हल्का के पास उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो पता चला मृतक सुभाना का विरासत का नामान्तकरण मिन अपीलान्ट के नाम अमल नही था जिस पर मिन अपीलान्ट ने कानूनी राय लेकर सभी दस्तावेजात की नकल लेकर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत

जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.08.2024 नामान्तकरण संख्या 1742 वाके ग्राम चौरबसई तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 749 रकबा 0.6500 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चौरबसई अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाना की कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी थीं। जिस पर —— अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाना काबिज व दाखिल होकर काश्त करते थे। व अपने जीवन काल में मृतक सुभाना द्वारा ——अपीलान्ट को दिनाक 16.08.2019 को एक वसीयत लिखकर गये कि मरने के बाद उक्त आराजी मिन अपीलान्ट की होगी, क्योकि सेवा टहल मिन अपीलान्ट ने की थी, मिन अपीलान्ट के द्वारा मृतक सुभाना के वारीसान की जॉच रिपोर्ट व वसीयत राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो को दी गयी किन्तु तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा मृतक सुभाना का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1742 दर्ज दिनाक 02.07.2024 मंजूर दिनाक 02.08.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अंपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.08.2024 नामान्तकरण संख्या 1742 वाके ग्राम चौरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत